लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा

–हरिकिशन शर्मा

छोटे और मझोले उद्यमों के प्रति सरकार की प्राथमिकता आम बजट 2018–19 के प्रावधानों में भी परिलक्षित हुई है। आम बजट 2018–19 में न सिर्फ एमएसएमई क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया गया है बल्कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐतिहासिक निर्णय भी किया है। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया गया है।

भारतीय अर्थव्यपवस्था, में उद्यमिता संस्कृति के विस्तार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उद्यम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान हैं और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं। वास्तव में 'लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्र की प्रगति और रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तकरीबन एक तिहाई योगदान एमएसएमई क्षेत्र का ही है। वर्ष 2014–15 में जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों का योगदान करीब 6.11 प्रतिशत और सेवाप्रदाता कंपनियों का योगदान 24.63 प्रतिशत था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र में तो एमएसएमई इकाइयों का योगदान धीमे–धीमे बढ़ा है लेकिन निर्माण क्षेत्र में यह स्थिर बना हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने इसके विस्तार के लिए आम बजट 2018–19 में महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। साथ ही बजटीय घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत और विधायी परिवर्तन करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

वर्तमान सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर खासा जोर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनाओं के रूप में बीते कुछ वर्षों में सरकार ने एमएसएमई उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लांच की तो उसी समय स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में छोटे और मझोले उद्योग सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, "बड़े–बड़े उद्योग सिर्फ एक करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार देते हैं जबकि 5 करोड़ 70 छोटे व मझोले उद्यमी 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। आज लगभग तीन साल बाद जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 10 करोड़ से अधिक उद्यमियों को इसका लाभ मिल चुका है और अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं।

छोटे और मझोले उद्यमों के प्रति सरकार की प्राथमिकता आम बजट 2018–19 के प्रावधानों में भी परिलक्षित हुई है। आम बजट 2018–19 में न सिर्फ एमएसएमई क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया गया है बल्कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐतिहासिक निर्णय भी किया है। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया गया है।

आम बजट 2018–19 में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके। इस क्षेत्र (सेक्टर) के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2017–18 के 6481.96 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 में 6552.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं (सीजीटीएमएसई के अलावा) के लिए आवंटन को वर्ष 2017–18 के 3680 करोड़ रुपये से 59 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018–19 में 5852.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के लिए आवंटन को वर्ष 2017–18 के 506 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 में 1006 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन में मदद करेगी। इसी तरह

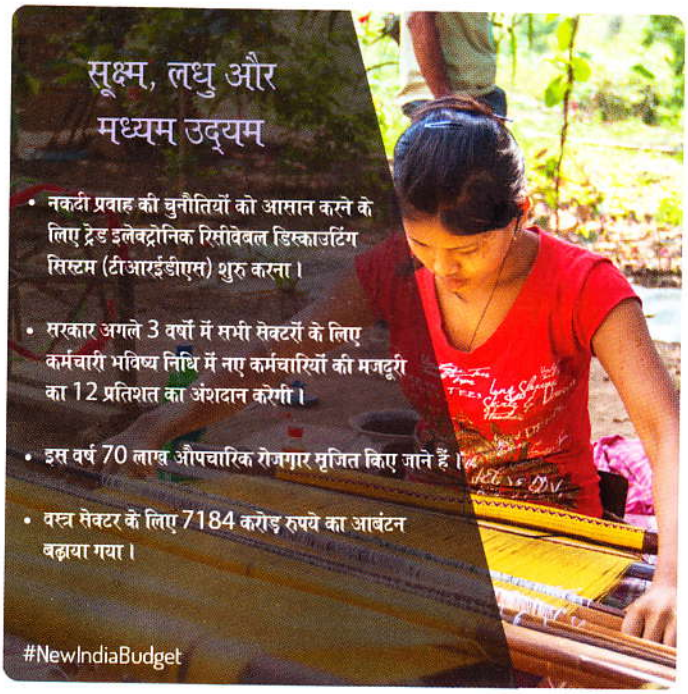

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान

वर्ष	उत्पादन/निर्माण क्षेत्र में	सेवा क्षेत्र में	जीडीपी में
2011–12	6.16	23.81	29.97
2012–13	6.27	24.13	30.40
2013–14	6.27	24.37	30.64
2014–15	6.11	24.63	30.73

स्रोत–उद्योग संबंधी संसद की स्थायी समिति की 280वीं रिपोर्ट

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 1024.49 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि गैर–कृषि क्षेत्र में लगभग 88,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्रेडिट गारंटी कोष को पहले ही 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ–साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधारों की बदौलत इस सेक्टर में ऋण वृद्धि और रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि इस बार के आम बजट में एमएसएमई के लिए सबसे अहम घोषणा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के रूप में की गई है। एक फरवरी 2018 को पेश आम बजट में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कॉरपोरेट टैक्स में चरणबद्ध ढंग से कटौती करने के वादे पर अमल करते हुए ऐसी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की जिनका सालाना टर्नओवर 2016–17 में 250 करोड़ रुपये तक था। सरकार के इस निर्णय से 99 प्रतिशत कंपनियों को फायदा होगा। खास बात यह है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की शत–प्रतिशत कंपनियों को इस निर्णय से लाभ मिलेगा। यह बात अलग है कि इस निर्णय से वित्तवर्ष 2018–19 में खजाने पर 7,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा लेकिन कॉरपोरेट टैक्स कम होने के बाद छोटी और मझोली कंपनियों के पास जो धनराशि बचेगी उसका इस्तेमाल वे अधिकाधिक निवेश करने के लिए कर सकेंगी जिससे अंततः रोजगार सृजन होगा और जिसका लाभ देश के युवा वर्ग को मिलेगा। केंद्र के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब सिर्फ 7,000 कंपनियां ही ऐसी बचेंगी जिन्हें, 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होगा क्योंकि इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक है। इस तरह सरकार ने टैक्स की दर घटाकर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को आम बजट में बड़ी राहत दी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस तथ्य से भी जाहिर होती है कि आम बजट पेश होने

"जीएसटी के लागू होने और विमुद्रीकरण के बाद देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के (एमएसएमई) के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ा है। इससे एमएसएमई व्यवसायों और वित्त साधनों का बड़ा डाटा–बेस बन रहा है। इस डाटा–बेस का प्रयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूँजी सहित पूंजीगत जरूरतों के वित्त–पोषण में सुधार करने हेतु किया जाएगा।"

वित्त मंत्री अरुण जेटली

के एक सप्ताह के भीतर ही सात फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में एमएसएमई की परिभाषा को बदलने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के मौजूदा आधार –'संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश' को बदलकर 'वार्षिक कारोबार' करने का फैसला किया है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन किया जाएगा और एमएसएमई की नई परिभाषा तय की जाएगी। नई परिभाषा के तहत 'वार्षिक कारोबार'के आधार पर इकाईयों का वर्गीकरण किया जाएगा। दरअसल मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 7) में विनिर्माण इकाईयों के संबंध में 'संयंत्र और मशीनरी में निवेश' तथा सेवा उद्यमों के लिए 'उपकरण में निवेश' के मानदंड पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण किया जाता है।

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम	संयंत्र और मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं
सेवा क्षेत्र	
उद्यम	उपकरणों में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	10 लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
मध्यम उद्यम	2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा में कई खामियां हैं, इसलिए इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ी। असल में वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी उद्यम को ही यह बताना होता है कि उसने 'संयंत्र और मशीनरी' में कितना निवेश किया है। इसी के आधार पर वह एमएसएमई होने का दावा पेश करता है। हालांकि उनके इस दावे का परीक्षण किया जाता है और सही पाए जाने पर ही उन्हें एमएसएमई का दर्जा मिलता है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ खर्च बढ़ाने वाली है बल्कि यह जटिल भी है। यह 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस की मूल भावना के विरुद्ध भी है। कुल मिलाकर कहें तो एमएसएमई के वर्गीकरण की मौजूदा प्रक्रिया उतनी भरोसेमंद नहीं थी। यही वजह है कि इसे बदलने का निर्णय किया गया।

इसके अलावा एक वजह यह भी है कि एक जुलाई 2017 से देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद जीएसटी नेटवर्क पर उपलब्ध कंपनियों के टर्नओवर के आंकड़े अधिक विश्वसनीय हैं। इसलिए सालाना टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण करने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी और निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा

उपक्रम	वार्षिक कारोबार की सीमा
सूक्षम उद्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	5 करोड़ रुपये से 75 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम	75 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक

नई परिभाषा के तहत जिन कंपनियों का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 'सूक्ष्म उद्यम' माना जाएगा। जिन उद्यमों का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक, लेकिन 75 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा उन्हें 'लघु उद्यम'कहा जाएगा। इसी तरह जिन उद्यमों का वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपये से अधिक है परंतु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है उन्हें 'मध्यम उद्यम' के रूप में परिभाषित किया जाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए वार्षिक कारोबार की सीमा तय कर सकेगी। इसका मलतब यह है कि एमएसएमई अधिनियम में बार-बार संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

वास्तव में एमएसएमई की नई परिभाषा से व्यावसाय करने में आसानी होगी। इसके परिणामस्वरूप प्रगति बढ़ेगी तथा देश के एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

इस तरह बीते तीन साल में वर्तमान सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आम बजट के जरिए कई प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष के आम बजट में सरकार ने तीन साल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत अंशदान करने का प्रावधान किया था। इसके अलावा आयकर अधिनियम के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए गए पारिश्रमिक के 30 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती का लाभ दिया गया। महिला कर्मचारियों को विशेष सुविधा देते हुए सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।

निष्कर्ष : कह सकते हैं कि हाल के वर्षों में सरकार का फोक्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर रहा है। आम बजट 2018-19 में भी इस दिशा में प्रयास हुए हैं। बहरहाल आवश्यकता बजटीय प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की है। तभी ये प्रयास सफल होते पर नजर आएंगे।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई-मेल : **hari.scribe@gmail.com**

फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ

बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत वर्ष के दौरान न्यूनतम 240 दिनों तक रोजगार पाने वाले योग्य नए कर्मचारियों को मिलने वाले 100 प्रतिशत पारिश्रमिक में से सामान्य कटौती के अतिरिक्त 30 प्रतिशत वृद्धि की कटौती की अनुमति है। हालांकि वस्त्र उद्योग में न्यूनतम रोजगार की अवधि में 150 दिनों तक की छूट है। वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी न्यूनतम 150 दिनों की छूट मिलने से इस क्षेत्र में नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।श्री जेटली ने 30 प्रतिशत कटौती को तार्किक बनाने के लिए ऐसे नए कर्मचारी को लाभ देने का प्रस्ताव किया है जिसे पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम अवधि से कम रोजगार मिला लेकिन आगामी वर्षों में उसे न्यूनतम अवधि का रोजगार प्राप्त हुआ।